

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

13/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2022/37

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणपत पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	1. गंगाराम पुत्र कोजाराम
2. भंवरी पुत्री गंगाराम पत्नि सांवलराम जाति मेगवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	2. नरसिंगाराम पुत्र करनाराम
3. अणसी पुत्री गंगाराम पत्नि घेवरजी जाति मेगवाल निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	3. गुलाबाराम पुत्र करनाराम
4. कंकू पुत्री गंगाराम पत्नि बाबुराम जाति मेगवाल निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	4. लिखमाराम पुत्र करनाराम
5. अमीयो पुत्री गंगाराम पत्नि देवाराम जाति मेगवाल निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	5. दलाराम उर्फ दलाराम पुत्र करनाराम
6. रमेश पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	6. हरीराम पुत्र उदाराम
	7. डायाराम पुत्र उदाराम
	8. जालराम पुत्र उदाराम
	9. सांवलराम पुत्र उदाराम
	10. छगनाराम पुत्र अचलाराम
	11. खीमाराम पुत्र नैनाराम
	12. हेमाराम पुत्र नैनाराम
	13. बुधाराम पुत्र नैनाराम
	14. जैसाराम पुत्र नैनाराम
	जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
	15. उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी गुगडी, बागुण्डी तहसील पचपदरा
	16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 09 व 12, 14 अनुपस्थित।
3. श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 08 व 10, 11 व 13 अनुपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 15 व 16 एकतरफा।




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1. संक्षिप्त में वादपत्र के संसुगत तथ्य इस प्रकार है कि कि वादीगण के दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 14 के दादा कोजा पुत्र पदमा की संयुक्त हिन्दू खानदान् की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 6 के दादा कोजाराम थे तथा वादीगण के दादा कोजाराम के जीवनकाल में दादा की संपत्ति में पौत्र-पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार प्राप्त हो गए थे,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने कोजाराम के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम,करना,उदा,अचला व नैना के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादीगण के दादा कोजाराम के हक हिस्से 1/5 में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है। इसके उपरांत भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 15 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया,लेकिन उक्त बैचाननामा प्रारम से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक प्रभावहीन रहेगा। अतं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार यानि 1/35 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में हुआ बैचाननामा वादीगण ने हको के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण के हिस्से भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नही करने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 15 बावजूद रजिस्ट्री सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 09 व 12, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री जूजांराम पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर ने प्रतिवादी संख्या 01 से 08 व 10,11 एवं 13 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ताओ को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

3. प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद-पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी पक्ष की ओर से वाद-पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में वादी साक्ष्य में PW.01 गणपत द्वारा लिखित बयानात् स्वरूप शपथ-पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति, प्रदर्श 02 में वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्रति व प्रदर्श 03 बेचाननामा दिनांक 24.08.2021 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही नहीं करवाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।


4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया था, कि वादीगण के दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 14 की संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादीगण के दादा करनाराम थे तथा वादीगण के दादा कोजाजी के जीवनकाल में अपने दादा की संपत्ति में पौत्र-पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार प्राप्त हो गए थे, लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने कोजाजी के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 व अचला, करना, नैना व उदा के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादीगण के दादा कोजाजी के हक हिस्से 1/5 में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है। फिर भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 15 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया, लेकिन बेचाननामा प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक प्रभावहीन रहेगा। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई भौतिक रूप से कब्जा-काश्त नहीं है, केवलमात्र अवैध प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से बोकस बेचान किया गया है, जो कि वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य है। वादीगण ने अपने साक्ष्य सबूतों के आधार पर भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही पौत्र-पौत्रियों के हक अधिकार पैदा हो जाते हैं। अतं में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/5 हिस्सा का सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक वादी का 1/35 हिस्सा का काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के हक में हुआ बेचाननामा वादीगण ने हको के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। बाद वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण भूमि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नहीं करे।

1. हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की पुश्तैनी सयुंक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित भूमि वादीगण के दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 02 से 14 के दादा कोजाजी की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादीगण के दादा कोजाजी के फौत होने पर उनके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 01 गंगाराम व अन्य वारिसान की खातेदारी में दर्ज हुई। जबकि गंगाराम के साथ वादीगण की भी खातेदारी इन्द्राज की जानी चाहिए थी, क्योंकि पुश्तैनी भूमि में दादा के जीवनकाल में पौत्र-पौत्रियों का वादग्रस्त भूमि में हक हकूक पैदा हो गए थे, इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 1/5 हिस्सा सयुंक्त खातेदारी में दर्ज हुए और वादीगण को उनके हक हकूको से महरूम रख दिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हक हकूको से अधिक हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 15 को कर दिया गया, जो कि अवैध बेचान होने से वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में है। अतं वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ माफिक वादपत्र मे चाहे गए मांग अनुरूप हिस्सेनुसार सहखातेदार घोषित किया जाकर बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जाने का अनुतोष चाहा गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2074-2077 ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि के सहखातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना 1/5 हिस्सा भूमि बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 1076/02.11.2021 पारित हुआ तथा तत्पश्चात उक्त सहखातेदारान के बेचान करने के कारण संपूर्ण खाता प्रतिवादी संख्या 15 उमाराम पुत्र उमाराम कौम मेगवाल साकिन गुगडी, बागुण्डी खातेदार दर्ज हुए तथा बेचानपत्र दिनांक 24.8.2021 से भी प्रतीत होता है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है, जैसा कि पत्रावली मे दर्शित वंश वृक्षावली से पता चलता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से हक हिस्सा प्राप्त के लिए अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी ओर से अधिवक्ता भी मुकर्रर किया गया था तथा प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही भी नहीं करवाए गए। तत्कालीन खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 15 को बेचान करने के बाद उनके ही वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबध मे वाद पेश किया गया है, जबकि तत्कालीन खातेदारान प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि को बेचान की गई है तथा संयुक्त परिवार का मुखिया अपने परिवार के




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भरण पोषण व परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विक्रय कर सकता है। विक्रय-पत्र में भी तत्कालीन विक्रेताओं (प्रतिवादी) द्वारा पैराज संख्या 1 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा व हक हिरसा खातेदारी का है। हमारे अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा व हक खातेदारी का नहीं है तथा पैराज संख्या 5 में भी स्वीकार किया है कि कब्जा क्रेता को करवा दिया है। उक्त खातेदारी भूमि हक हिरसा बेचान पर अब आज से हमारा व हमारी आल-औलाद आदि का कोई कब्जा व हक खातेदारी का नहीं रहेगा तथा पैराज संख्या 7 में भी लिखत है कि उक्त खातेदारी भूमि हक हिरसा बेचान के संबंध में जो व्यक्ति उजर या एतराज करेगा तो समय पर जवाबदेही व पेरोकारी हम स्वयं हमारे खर्च से आपके पक्ष में करेंगे तथा बयान व सबूत भी हम आपके पक्ष में देवेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय-पत्र की शर्तों से प्रतिवादी पक्ष मुकर्रर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्ति करने के बाद भी वादपत्र में कोई लिखित कथन पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादपत्र स्वच्छ हाथों से नहीं लाए गए हैं। केवलमात्र प्रतिवादी के विरोध नहीं करने मात्र से वादीगण राहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होना आवश्यक होता है, जो कि वादीगण पेश करने में सफल नहीं रहे हैं।

अनुतोष:—उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण के वाद-पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्ली पर्चा



निर्णय आज दिनांक 30.1.2026 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(असोक कुमार)
30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(असोक कुमार)
30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

डिक्री-पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 13/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/37


वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गणपत पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल
निवासी जसोल तहसील पचपदरा
2. भंवरी पुत्री गंगाराम पत्नि सांवलराम
जाति मेगवाल निवासी असाड़ा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3. अणसी पुत्री गंगाराम पत्नि घेवरजी
जाति मेगवाल निवासी आसोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
4. कंकू पुत्री गंगाराम पत्नि बाबुराम
जाति मेगवाल निवासी टापरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
5. अमीयो पुत्री गंगाराम पत्नि देवाराम
जाति मेगवाल निवासी टापरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
6. रमेश पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

1. गंगाराम पुत्र कोजाराम
2. नरसिंगाराम पुत्र करनाराम
3. गुलाबाराम पुत्र करनाराम
4. लिखमाराम पुत्र करनाराम
5. दलाराम उर्फ ढलाराम पुत्र करनाराम
6. हरीराम पुत्र उदाराम
7. डायाराम पुत्र उदाराम
8. जालराम पुत्र उदाराम
9. सांवलराम पुत्र उदाराम
10. छगनाराम पुत्र अचलाराम
11. खीमाराम पुत्र नैनाराम
12. हेमाराम पुत्र नैनाराम
13. बुधाराम पुत्र नैनाराम
14. जैसाराम पुत्र नैनाराम
जाति मेगवाल निवासी जसोल
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
15. उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल
निवासी गुगडी, बागुण्डी तहसील पचपदरा
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



राजस्व वाद बाबत:-88,53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 13/2022

निर्णय दिनांक :-30.1.2026

वादीगण की ओर से श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थिति, इस वाद में आज तारीख 30.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सावित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 30.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



[Signature]
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	—	5. आदेशिका की तामील	—
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	—	जोड़	—

[Signature]
 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा